सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकारी द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग' 4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 मई, 1994

बैशाख 23, 1916 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

सं0–86(6)/9–आ–3–94–9 आर0ए0–93

लखनऊ 13 मई, 1994

अधिसूचना

पं0सं0.............176

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जिला चमोली के निम्नलिखित क्षेत्र की भूमि के अव्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये तथा समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–34 सन्1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा–0(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित करते है–

विनियमित क्षेत्र, गोचर

तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली के अन्तर्गत टाउन एरिया गोचर का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी सीमा निम्नानुसार है–

उत्तर– प्लाट नं0 1, 2, 4, व 8/रावल नगर तल्ला।

दक्षिण– प्लाट नं0 716, 775, 776, 790/ग्राम पनाई मल्ली।

पूर्व– प्लाट नं0 214, 257/ग्राम धारी लगा पनाई।

पश्चिम– प्लाट नं0 133, 134/ग्राम सैल।

आज्ञा से,

रमेश यादव

सचिव।